डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 16/2022-23 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एलआईएएल-लखनऊ/सीपी-III/2020-21/

F.N. AERA/20010/MYTP/LIAL-LUCKNOW/CP-III/2020-21

Consultation Paper No. 16/2022-23/परामर्श पत्र संख्या 16/2022-23

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ (एलकेओ) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 - 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में/

IN THE MATTER OF DETERMINATION OF AERONAUTICAL TARIFF FOR CHOUDHARY CHARAN SINGH INTERNATIONAL AIPORT(CCSIA), LUCKNOW (LKO) FOR THE THIRD CONTROL PERIOD (01.04.2021-31.03.2026)

जारी करने की तारीख : 20 फरवरी, 2023/

Date of Issue : 20 February, 2023

ऐरा भवन/ AERA Building,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport,
नई दिल्ली/New Delhi–110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि वर्ष 2020 के प्रारंभ से पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण विमानन क्षेत्र अत्यधिक अस्त–व्यस्त हो गया था और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्राधिकरण ने इस महामारी की तीसरी लहर से उत्पन्न हुई हाल ही की स्थितियों और पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के कारण इस उद्योग पर हुए प्रभाव को संज्ञान में लिया है।

प्राधिकरण ने वर्तमान में उपलब्ध समस्त जानकारी, इस मामले में हवाईअड्डा प्रचालकों, आईएटीए, एसीआई जैसे उद्योग निकायों और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के मत को ध्यान में रखकर तथा विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने के बाद कारोबार संबंधी मौजूदा परिदृश्य के संभावित परिवर्तनों और अनिश्चिताओं के कारण यातायात एवं विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन की समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त डीजीसीए के दिनांक 08 मार्च, 2022 के परिपत्र संख्या 04/1/2020- आईआर द्वारा 28 मार्च, 2022 से वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री हवाई यात्रा को पुन: शुरू किए जाने और एकपक्षीय अस्थाई (एयर बबल) व्यवस्थाएं समाप्त करने के भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखकर प्राधिकरण का यह मत है कि अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात को क्रमश: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 तक कोविड से पहले के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही इन समायोजनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ (सीसीएसआईए) यात्रियों के आवागमन की वार्षिक मात्रा (थ्रूपुट) के आधार पर ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2021 के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा अधिसूचित प्रमुख हवाईअड्डों में से एक है।

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ (सीसीएआईए) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित किया गया था, जिसने 14 फरवरी, 2020 को हवाईअड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 50 वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान हवाईअड्डा प्रचालक (लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) के साथ रियायत करार किया था और सीओडी 02 नवम्बर, 2020 को प्राप्त की। वित्त वर्ष 2016-17 से 01 नवम्बर, 2020 (सीओडी) तक की अवधि पूर्व-सीओडी अवधि मान ली गई और सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि सीओडी के बाद की अवधि मानी गई है। इस टैरिफ निर्धारण कार्य में चूंकि दो (02) हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सीओडी-पूर्व) और लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीओडी के बाद), सम्मिलित हैं इसलिए इस परामर्श पत्र में स्पष्टता बनाए रखने के लिए ऐरा ने सीओडी पूर्व की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए एएआई का और सीओडी के बाद की अवधि के लिए लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का प्रयोग किया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एएआई और हवाईअड्डा प्रचालक ने निम्नानुसार अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत कर दिया है:

- वित्त वर्ष 2016-17 से सीओडी तक की सीओडी पूर्व की अवधि के लिए एएआई की ट्रू-अप की प्रस्तुति
- सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की सीओडी के बाद की अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक की ट्रू-अप की प्रस्तुति।
- हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने एएआई द्वारा सीसीएसआईए के लिए सीओडी पूर्व की अवधि के लिए प्रस्तुत लेखा-परीक्षित आंकड़ों (वित्त वर्ष 2017 से 01 नवम्बर, 2020) और हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा 02 नवम्बर, 2020 (सीओडी) से 31 मार्च, 2021 तक के प्रस्तुत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र i) भारत सरकार के वाणिज्यिक उड़ानों को पुन: शुरू करने और यात्री/एटीएम यातायात को बढ़ाने के निर्णय और ii) टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में दोनों हवाईअड्डा प्रचालकों को सम्मिलित करने की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्श पत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नही किया जाएगा।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 20.02.2023 के परामर्श पत्र संख्या 16/2022-23 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती हैं:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, secretary@aera.gov.in

हितधारकों की परामर्श बैठक :	07 मार्च, 2023
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	24 मार्च, 2023
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	05 अप्रैल, 2023

टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2016-17 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख तक की अवधि के लिए एएआई का टूअप

4.15.1 तालिका 14 के अनुसार 01 नवम्बर, 2020 को 187.88 करोड़ रूपए के समझे गए प्रारंभिक आरएबी को मानना।

4.15.2 सीओडी-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 15 के अनुसार आरएबी के टूअप को मानना।

4.15.3 सीओडी-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 16 के अनुसार मूल्यह्रास के टू-अप को मानना।

4.15.4 सीओडी–पूर्व की अवधि के लिए पैरा 4.7.3 के अनुसार एफआरओआर के टूअप को मानना।

4.15.5 सीओडी-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 24 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

4.15.6 सीओडी-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 25 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व के टूअप को मानना।

4.15.7 सीओडी-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 27 के अनुसार वैमानिक राजस्व के टूअप को मानना।

4.15.8 सीओडी-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 30 के अनुसार वैमानिक कराधान के टूअप को मानना।

4.15.9 सीओडी-पूर्व की अवधि के लिए तालिका 31 के अनुसार एएआई के टू-अप के लिए 120.60 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुन: समायोजित करना।

4.15.10 तालिका 33 के अनुसार या पैराग्राफ 4.14.5 में दिए गए सूत्र के आधार पर समायोजित समझे गए प्रारंभिक आरएबी को भुगतान की वास्तविक तारीख के लिए उपयुक्त मानना।

अध्याय 5 : सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का टू-अप

5.12.1 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 37 के अनुसार आरएबी और मूल्यह्रास के टू-अप को मानना।

5.12.2 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 38 के अनुसार एफआरओआर के टू-अप को मानना।

5.12.3 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 45 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

5.12.4 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 46 के अनुसार गैर- वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

5.12.5 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 47 के अनुसार वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

5.12.6 सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तालिका 48 के अनुसार हवाईअड्डा प्रचालक के टू-अप के लिए 20.38 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

6.3.1 सीसीएसआईए के लिए तालिका 57 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।

6.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को टूअप करना।

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यह्रास

7.6.1 सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए परिसंपत्तियों के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आंबटन संबंधी अध्ययन, आईएमजी मानदंडों और अन्य समान प्रकार के हवाईअड्डों के लिए यथानुमोदित मानदंडों के अनुरूप 90:10 के टर्मिनल भवन अनुपात को मानना।

7.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आईडीसी की अनुमति देना और पैरा 7.3.13 में उल्लेख किए अनुसार वित्तीयन भत्ते की अनुमति न देना।

7.6.3 तालिका 76 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

7.6.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा संख्या 7.3.12 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से पूंजीकृत न की गई परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

7.6.5 पैरा 7.3.14 और 7.3.15 में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तव में वहन की गई राशि के आधार पर क्रमश: आरएबी/ सीडब्ल्यूआईपी तथा स्टॉम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क पर जीएसटी को मानना।

7.6.6 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना (जैसा कि पैरा 7.3.16 में बताया गया है)।

7.6.7 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

7.6.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 81 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

7.6.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित करने के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

7.6.10 सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तालिका 84 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

7.6.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

8.3.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

8.3.2 अन्य सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाईअड्डों के मामले में माने जा रहे ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के लक्षित अनुपात के अनुरूप 48% : 52% के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के कल्पित ऋण को मानना।

8.3.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।

8.3.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.3.1 तालिका 91 के अनुसार डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

10.3.1 तालिका 119 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 11: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

11.3.1 सीसीएसआईए के लिए तालिका 124 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.3.2 हवाईअड्डा प्रचालक को समान/एएआई के हवाईअड्डों के अनुरूप तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सीसीएसआईए के एनएआर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

अध्याय 12 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.3.1 सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तालिका 126 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों पर उचित रूप से विचार करके वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.3.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सीसीएसआईए की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

13.3.2 हवाईअड्डा प्रचालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीएसआईए पर सेवा की गुणवत्ता पूरी तृतीय नियंत्रण अवधि में रियायत करार में इंगित किए अनुसार निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.3.1 सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तालिका 129 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को माननना।

14.3.2 हवाईअड्डा प्रचालक को यह निदेश देना कि वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) यह परामर्श पत्र जारी होने के सात (7) दिन के भीतर प्रस्तुत करें, इसकी समीक्षा की जाएगी और इसे हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 24 मार्च, 2023 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)